[16/3/2021]

प्रश्न सं. [क्र. 4309]

परिशिष्ट–''क''

प्रश्नांश ''घ''पुलिस–नक्सल मुठभेड़ में मारे गये नक्सलियों का विवरण निम्नानुसार है:–

कमांक	जिला	पुलिस थाना	घटना दिनांक	मारे गये नक्सली का नाम एवं पता	विवरण
1	बालाघाट	थाना बैहर	06.11.2020	महिला नक्सली शारदा उर्फ पुज्जे ग्राम पुसनार, थाना गंगालूर, पश्चिम बस्तर जिला बीजापुर (छ0ग0)	दिनॉक 06.11.2020 की दरम्यानी रात्रि थाना बैहर के ग्राम मालखेड़ी में खटिया–मोचा एरिया क मेटी व विस्तार प्लाटून 02 के लगभग 20–25 सशस्त्र नक्सलियों द्वारा एकराय होकर व घातक अवैध शस्त्रो से लैस होकर पुलिस बल की हत्या कर, पुलिस बल के हथियार लूटने के इरादे से अंधाधुंध फायरिंग कर हमला किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही की गई। मुठभेड़ उपरांत घटना स्थल की तलाशी लेने पर एक वर्दीधारी महिला नक्सली मय 12 बोर हथियार के जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष का शव प्राप्त हुआ, जिसकी पहचान खटिया–मोचा एरिया कमेटी व विस्तार प्लाटून 02 की सदस्य शारदा उर्फ पुज्जे उम्र 25 वर्ष निवासी पश्चिम बस्तर जिला बीजापुर (छ0ग0) के रूप में हुई है। उक्त घटना पर थाना बैहर में अपराध कमांक 267/2020 धारा 147, 148, 149, 307 भादवि., 25, 27 आर्म्स एक्ट, 3,5 विस्फोटक अधिनियम, 11,13 (क), 13 (ख) विधिविरूद्व कियाकलाप अधि0 1967 का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
2	बालाघाट	थाना किरनापुर	11.12.2020	महिला नक्सली शोभा पति उमेश गावडे, ग्राम कुण्डावाही, थाना कोटमी, तहसील इटापल्ली, जिला गढ़चिरौली (महाराष्ट्र)	दिनांक 11.12.2020 की दरम्यानी रात्री थाना किरनापुर के ग्राम बोरवन–सिरका वनमार्ग बोरवन में मलाजखण्ड एरिया कमेटी व दर्रेकसा एरिया कमेटी के सशस्त्र नक्सलियों द्वारा एकराय होकर अवैध आग्नेय शस्त्रो से लेस होकर पुलिस बल की हत्या कर, पुलिस बल के हथियार लूटने के इरादे से अंधाधुंध फायरिंग कर हमला किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही की गई। मुठभेड़ उपरांत घटना स्थल से एक वर्दीधारी महिला नक्सली उम्र करीब 30 वर्ष मय 12बोर बंदूक का शव प्राप्त हुआ। घटना स्थल से प्राप्त मृतक महिला नक्सली की पहचान मलाजखण्ड एरिया कमेटी जी0आर0बी0 डिवीजन एमएमसी जोन की एरिया कमेटी सदस्य शोभा पति उमेश गावडे उम्र 30 साल

Under Secretary
Govt. of Madhya Pradesh
Home (C) Department.

उप पुलिस अधीक्षक
विशेष शाखा, पु.मु. भोपाल

					निवासी गढ़चिरौली क्षेत्र (महाराष्ट्र) के रूप में हुई है उक्त घटना पर थाना किरनापुर में अपराध कमांक 337/2020 भा.द.वि., धारा 147, 148, 149, 307, आयुध अधिनियम 25, 27, विधिविरूद्ध कियाकलाप निवारण अधिनियम 11, 13(1), 13(2) का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
3	बालाघाट	थाना किरनापुर	12.12.2020	सावित्री उर्फ आयते अपका (मुरिया) ग्राम जोजोर (कमका) थाना गंगालूर एरिया जिला बस्तर क्षेत्र (छ0ग0)	दिनॉक 12.12.2020 को ग्राम बोरवन–सिरका वनमार्ग, गायमुख पहाड़ी के अंदर जंगल क्षेत्र में सर्चिंग के दौरान मलाजखण्ड एरिया कमेटी व दर्रेकसा एरिया कमेटी के सशस्त्र नक्सलियों द्वारा एकराय होकर अवैध आग्नेय शस्त्रो से लेस होकर पुलिस बल की हत्या कर, पुलिस बल के हथियार लूटने के इरादे से अंधाधुंध फायरिंग कर हमला किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही की गई। मुठभेड़ उपरांत घटना स्थल पर सर्चिंग करने पर एक वर्दीधारी महिला नक्सली मय इंसास रायफल के शव प्राप्त हुआ। घटना स्थल से प्राप्त मृत महिला नक्सली की पहचान दर्रेकसा एरिया कमेटी जी0आर0बी0 डिवीजन एमएमसी जोन की एरिया कमेटी सदस्य सावित्री उर्फ आयते उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम जोजोर (कमका) थाना गंगालूर एरिया जिला बस्तर क्षेत्र (छ0ग0) के रूप में हुई है। उक्त घटना पर थाना किरनापुर में अपराध कमांक 338/2020 धारा 147, 148, 149, 307 भादवि., आयुध अधिनियम 25, 27, विधिविरूद्ध कियाकलाप निवारण अधिनियम 11, 13(1), 13(2) का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
4	मंडला	मोतीनाला	12–13.2.21	गीता उर्फ सुक्की मडकम उम्र 24 साल निवासी–ग्राम गादेम, थाना पामेड, जिला बीजापुर (छ.ग.)	दिनॉक 12–13.02.2021 को जिला बालाघाट के थाना मोतीनाला क्षेत्रांतर्गत ग्राम लालपुर जंगल क्षेत्र में पुलिस पार्टी द्वारा सर्चिंग की कार्यवाही की जा रही थी। इसी दौरान सशस्त्र नक्सलियों द्वारा एकराय होकर अवैध आग्नेय शस्त्रो से लेस होकर पुलिस बल की हत्या कर, पुलिस बल के हथियार लूटने के इरादे से अंधाधुंध फायरिंग कर हमला किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही की गई। मुठभेड़ उपरांत घटना स्थल पर सर्चिंग

Under Secretary
Govt. of Madhya Pradesh,

उप पुलिस अधीक्षक
... भोपाल

					करने पर एक वर्दीधारी महिला नक्सली का शव मय क सिंगल शॉट 303 रायफल प्राप्त हुआ। उपरोक्त घटना पर से थाना मोतीनाला, जिला मण्डला में अपराध क. 15/2021 धारा 147,148,149,307 भा.द.वि. धारा 25,27 आर्मस एक्ट धारा 11, 13(1), 13(2) विधि विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
5	मंडला	मोतीनाला	12—13.2.21	दुल्ला उर्फ मैनु ओडी उम्र 25 वर्ष निवासी— ग्राम कोना, थाना जगरगुण्डा, जिला सुकमा (छ.ग.)	दिनाँक 12—13.02.2021 को जिला बालाघाट के थाना मोतीनाला क्षेत्रांतर्गत ग्राम लालपुर जंगल क्षेत्र में पुलिस पार्टी द्वारा सर्चिंग की कार्यवाही की जा रही थी। इसी दौरान सशस्त्र नक्सलियों द्वारा एकराय होकर अवैध आग्नेय शस्त्रो से लेस होकर पुलिस बल की हत्या कर, पुलिस बल के हथियार लूटने के इरादे से अंधाधुंध फायरिंग कर हमला किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही की गई। मुठभेड़ उपरांत घटना स्थल पर सर्चिंग करने पर एक वर्दीधारी पुरूष नक्सली का शव मय एस.एल.आर. रायफल प्राप्त हुआ। उपरोक्त घटना पर से थाना मोतीनाला, जिला मण्डला में अपराध क. 15/2021 धारा 147,148,149,307 भा.द.वि. धारा 25,27 आर्मस एक्ट धारा 11, 13(1), 13(2) विधि विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

उप पुलिस अधीक्षक
विशेष शाखा, पु.मु. भोपाल

Under Secretary
Govt. of Madhya Pradesh
Home (C) Department